

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/12012
प्रति,

ग्वालियर दिनांक 22/11/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

विषय— ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर 220 के.व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.00 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ—1—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6—एम.पी.बी 024/2022—बी.एच.ओ./ दिनांक 20.09.2022

2—प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-4/13/2022/10-11/3386-87 दिनांक 06.10.2022

3—आवेदक विभाग परियोजना यंत्री (वि/यां) लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. ग्वालियर का पत्र क्रमांक/टी.सी./पी.आई.यू./ग्वा./2022-23/2189 दिनांक 10.11.2022

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में निवेदन है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर 220 के.व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.00 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB024/2022-BHO दिनांक 20.09.2022 से उपरोक्त प्रकरण में 09 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। जिसके संबंध में उक्त बिन्दुओं की पूर्ति करते हुये आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.11.2022 से बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की है जानकारी में कार्यालय स्तर से संबंधित बिन्दुओं की पूर्ति की जाकर चाही गई जानकारी पत्र के संलग्न है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार चाही गई 09 बिन्दुओं की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर
दिनांक 22/11/2022

पृ० क्रमांक/मा.चि./12013
प्रतिलिपि —

1—प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-4/13/2022/10-11/3386-87 दिनांक 06.10.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2—आवेदक विभाग परियोजना यंत्री (वि/यां) लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. ग्वालियर की ओर आपके पत्र क्रमांक/टी.सी./पी.आई.यू./ग्वा./2022-23/2189 दिनांक 10.11.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

OFFICE OF THE DIVISIONAL PROJECT ENGINEER

P.W.D., P.I.U., GWALIOR (M.P.)

Phone : 0751-2452643, Email : piugwalior@gmail.com

**Project : Proposed 33 KV DSDS Line for power supply to newly
1000 Bedded Govt. Hospital, Gwalior**

This project is extremely essential for reliable and stable power supply to newly 1000 Bedded Govt. Hospital situate at near Amkho, Kampoo, Gwalior.

The Proposed 33 KV DCDS Line tapping from 220 KV S/s Ramsiya Sarkar, Jhansi Road, Gwalior to proposed site (1000 Bedded Govt. Hospital) passing through the Forest Area.

There are three alternative routes. The Route-2 is suitable because of bare minimum forest land for proposed 33 KV DCDS Line. Details are as below :-

Alternate Route	Length of Line (K.M.)	Involvement of Forest in (ha.)	Remarks
Route – 1	2124 Meter	3.186	Not Suitable
Route – 2	2000 Meter	3.000	Suitable
Route - 3	2100 Meter	3.150	Not Suitable

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल ग्वालियर

Project Engineer (E/M)
PWD, PIU, Gwalior

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0 प्र0)

दूरभाष-0751-2452643, Email : piugwalior@gmail.com

कमांक टी.सी./पी.आई.यू./ग्वा./2022-23/2189

ग्वालियर, दिनांक : 10/11/2022

प्रति,
वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल
सेन्ट्रल नर्सरी, कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम के पास,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर

विषय :- ग्वालियर जिले के अन्तर्गत 220 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र, रामसिया सरकार, झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पॉवर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण में रकवा 3.000 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत् ।
(Proposal No. FP/MP/TRANS/143391/2021)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपान का पत्र
कमांक/एफ-4/13/2022/10-11/3386 दिनांक 06.10.2022 ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि, विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से 09 विन्दुओं पर चाही गयी अतिरिक्त जानकारी का बिदुबार विवरण निम्नानुसार है :-

कमांक	चाही गयी जानकारी	चाही गयी जानकारी का विवरण
1.	KML File of proposal falling in forest area and non forest area shall be submitted & uploaded.	33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि एवं गैर-वन भूमि की KML फाईल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। मानचित्र सलग्न है ।
2.	Detailed muck disposal scheme shall be submitted.	33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण हेतु खम्बे खड़े करने हेतु खोदे गये गड्ढों से निकाली गयी मिट्टी को वापिस उन्ही गड्ढों में भरने के पश्चात शेष मिट्टी को उस स्थान से उठा लिया जावेगा ।
3.	KML file of alternative alignments of proposed diversion area shall be uploaded.	KML फाईल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। वैकल्पिक मानचित्र सलग्न है ।

4.	Justification for location of the project in forest land (counter signed of DFO) needs to be submitted.	Justification प्रति संलग्न है।
5.	Land suitability certificate of proposed CA land shall be submitted.	वन विभाग सम्बन्धित है।
6.	Dwarf/Medicinal plantation scheme shall be submitted.	प्रथम चरण की सैदातिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त शर्त का पालन किया जावेगा। औषधि रोपण राशि जमा करने हेतु विभाग वचनवद्ध होगा।
7.	NOC from concerned departments (Road, Canal, Railway etc.) shall be submitted.	33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण के रास्ते में cable crossing under the railway track का कार्य करने हेतु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे झांसी में रु. 7,03,888/- एवं वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे भोपाल में रु. 25,19,184/- जमा कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है। Permission प्राप्त होते की उपलब्ध करा दी जावेगी।
8.	List of affected trees and list of trees to be actually filled shall be submitted.	33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण के रास्ते जो भी पेड़ आयेगें उनको काटा नहीं जावेगा सिर्फ रास्ते में आये पेड़ों की छंटाई की जावेगी।
9.	Administrative approval/sanction letter of the project need to be submitted.	मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति एवं 33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न है।

परियोजना यंत्री (वि/यां.)
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., ग्वालियर

पृ.क्रमांक टी.सी./पी.आई.यू./ग्वा./2022-23/

ग्वालियर, दिनांक /11/2022

प्रतिलिपि :-

प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना यंत्री (वि/यां.)
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., ग्वालियर